Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. PDB/1/2016/MDEF2/SEOTH/RU-IV Dated: 20.07.2017

To,

The DCIDS (DOT),
HQ: Integrated Defence Staff,
Ministry of Defence,
Room No. 23, Kashmir House,
New Delhi – 110 011.

Sub: Representation of Shri P.D. Bhandakkar Asst. Professor, Physics Deptt, National Defence Academy, K. Wasia, Pune (Maharashtra) regarding upgradation under CAS from Rs. 8000 to 9000.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the proceedings of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes on 15.06.2017 at 02.00 PM on the above mentioned subject for necessary action. Action taken report in the matter may be intimated to the Commission, at an early date.

Yours faithfully,

DSKumbhare 20/7/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

Copy for information & necessary action to:-

The Secretary,
Ministry of Defence,
South Block,
New Delhi, alongwith copy of proceedings of Sitting dated 15.06.2017 at 02.00 PM taken by Hon'ble VC, NCST for taking appropriate action.

Copy to:-

4603-05
20/7/17

जारी किया
ISSUED

o/c

Shri Pravin D. Bhandakkar,
Assistant Professor,
Physics Department,
National Defence Academy,
K'Wasla, Pune,
(Maharashtra)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं0 PDB/1/2016/MDEF2/SEOTH/RU-IV

श्री पी.डी. भंडाकर, सहायक प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला, पुणे (महाराष्ट्र) के मामले में सीएएस के अंतर्गत रूपए 8000 से 9000 तक अपग्रेडेशन के संबंध में उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 15.06.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तारीखः 15.06.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 1 पर

श्री पी.डी. भंडाकर, सहायक प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला, पुणे (महाराष्ट्र) ने सीएएस के अंतर्गत रूपए 8000 से 9000 तक अपग्रेडेशन के संबंध में दिनांक 10.02.2016 का एक अभ्यावेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा।

2. इस मुद्दे पर डीसीआईडीएस (डीओटी), रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अभ्यावेदक के साथ चर्चा करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष ने 21.09.2016 को एक बैठक बुलाई थी। बैठक के अंतिम पैरा में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः

> "क्योंकि आवेदक का वर्तमान मामला अन्य मामलों से भिन्न है और आवेदक को एक आरटीआई उत्तर के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ गलत ढंग से उसकी पदोन्नति/अपग्रेडेशन के मामले को कहीं पर भी प्रकाशित नहीं करने के लिए संसूचित किया गया है। अतः इसे एक विशेष मामले के रूप में विचारा जाना चाहिए और मामले की जटिलता को उनके विश्वास में लेते हुए यूजीसी के साथ परामर्श करते हुए उसे वित्तीय अपग्रेडेशन दी जानी चाहिए और इसे कार्यवृत्त की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आयोग को पुनः रिपोर्ट किया जाए।"

3. कार्यवृत्त को अभ्यावेदक को पृष्ठांकन के साथ दिनांक 26.10.2016 को रक्षा मंत्रालय को संसूचित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 23.11.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि :

> "मुख्यालय के प्रतिनिधियों ने भी मामले का निपटान करने के लिए 18 नवम्बर, 2016 को यूजीसी के कार्यालय का दौरा किया और उन्हें सूचित किया गया कि इस मामले को यूजीसी में उच्च अधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए रखा जा रहा है

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

क्योंकि इसमें विद्यमान नीति में परिवर्तन करना शामिल है। एक बार यूजीसी प्राधिकारियों से रक्षा मंत्रालय के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है तो इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

उक्त दृष्टिकोण से यह निवेदन है कि इस मुख्यालय को कृपया श्री पी.डी. भंडाकर के आवेदन के निपटान के लिए कुछ और समय दिया जाए।''

4. रक्षा मंत्रालय को 01.12.2016 को स्मरण दिलाया गया। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, कार्मिक निदेशालय ने दिनांक 23.12.2016 के पत्र द्वारा रक्षा मंत्रालय डी(जीएस–II) से मामले की स्थिति प्रस्तुत करने का निवेदन किया और इसकी प्रति अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृष्ठांकित की। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, कार्मिक निदेशालय ने दिनांक 03.01.2017 के पत्र द्वारा मामले के निपटान के लिए और चार सप्ताह देने के लिए दुबारा निवेदन किया।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, कार्मिक निदेशालय से दिनांक 26.04.2017 के पत्र द्वारा तथ्य प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया और 23.05.2017 को अनुवर्ती अनुस्मारक भेजा। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। माननीय उपाध्यक्ष द्वारा इस मुद्दे पर एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ चर्चा करने के लिए दिनांक 15.06.2017 को एक बैठक निर्धारित की।

6. प्रमुख निदेशक एवं निदेशक (कार्मिक), मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, कार्मिक निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने बैठक में भाग लिया और दिनांक 15.06.2017 का एक पत्र सं0 15749/वीआईपी/आईडीएस/पीईआरएस उपलब्ध कराया जो नीचे पुनः प्रस्तुत है :

(i) कि अन्य के साथ श्री पी.डी. भंडाकर के मामले पर 7वीं विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया गया जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के अधीन डीसीआईडीसी (डीओटी)/मुख्यालय आईडीएस द्वारा की गई थी। उंक्त समिति में दो अन्य सदस्य थे।

(ii) विचार–विमर्श के बाद डीएससी ने श्री पी.डी. भंडाकर के मामले को उच्च अकादमिक ग्रेड पे स्वीकृत करने के लिए 'अयोग्य' पाया।

(iii) सरकार के नियमों के अनुसार डीएससी के कार्यवृत्त और इसकी सिफारिशों को रक्षा मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।

(iv) तदनुसार फाइल को औपचारिक अनुमोदन के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(v) इस दौरान रक्षा सचिव ने निर्देश दिया कि इस मामले को श्री पी.डी. भंडाकर को उच्च एजीपी स्वीकृत करने के मुद्दे पर उनकी सलाह के लिए यूजीसी को संदर्भित किया जाए।

(vi) यूजीसी की सलाह प्राप्त हो गई है और रक्षा मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेना है और उसे संसूचित करना है।”

उक्त बिन्दुओं के दृष्टिकोण से यह प्रस्तुत किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय को इस मामले में एक पक्ष बनाया जाए।

(vii) मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के उक्त पत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में कार्यवृत्त की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर विचार/टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए मामले को रक्षा मंत्रालय को संदर्भित किया जाए।

अतः एकीकृत रक्षा स्टॉफ, कार्मिक निदेशालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रक्षा मंत्रालय को यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त मामले में एक माह में अपना मत स्पष्ट करें जिससे की मामले में अग्रिम कार्यवाई की जा सके।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

परिशिष्ट–1

फाइल सं0 PDB/1/2016/MDEF2/SEOTH/RU-IV

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष (अध्यक्षता)
2. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
3. श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड़, माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव

रक्षा मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री एस.एस. सिन्हा, प्रमुख निदेशक, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
2. श्री गिरीधरन, निदेशक (कार्मिक), मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ

अभ्यावेदक

श्री पी.डी. भंडाकर

Tele: 23011531
Fax: 23013447

Headquarters Integrated Defence Staff,
Ministry of Defence,
Directorate of Pers,
Room No.46-48, Kashmir House,
Rajaji Marg, New Delhi – 110011.

15749/VIP/IDS/PERS

15, Jun 2017

To,

The Hon'ble Vice Chairman,
National Commission for Scheduled Tribes,
Lok Nayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi – 110003.

sitting o
.6.2017
up on
file.
5/6/17

SUB- REPRESEENTATION OF SHRI P.D. BHANDAKKAR ASST. PROFESSOR, PHYSICS, NDA, PUNE REGARDING UPGRADATION UNDER CAS FROM RS. 8000/- TO 9000/-

Reference NCST letter No. PDB/1/2016/MDEF2/SEOTH/RU-IV dated 24/26.10. 2016 and letter even dated 05.06.2017

2. In the above case the following facts are submitted for your kind perusal:-

I That the case of Shri P.D. Bhandakkar alongwith others was considered by the VIIth Departmental Screening Committee which was chaired by DCIDS (DOT)/ HQ IDS under Ministry of Defence. There were two other members in the said Committee.

II After consideration, the DSC found the case of Shri P.D. Bhandakkar 'Not Fit' for grant of Higher Academic Grade Pay.

III As per Govt rules the minutes of the DSC and its recommendations are **to be approved by competent authority in Ministry of Defence**.

IV Accordingly, the file was submitted to MoD for formal approval.

V Meanwhile the Defence Secretary directed that the case be referred to UGC for their advice on the issue of grant of Higher AGP to Shri P.D. Bhandakkar.

VI The advice of UGC has been received and the competent authority in MoD has to arrived at a decision and communicate the same.

3. In view of the above facts it is submitted that Ministry of Defence may be made a party in this case, being the competent authority.

(SS Sinha)
Principal Director (Pers)